IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, March 2024

बाल श्रम की समस्या और बाल स्वास्थ्य पर न्यायिक निर्णय

क्षेत्रपाल सिंह शाक्य, रिसर्च स्कॉलर, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.)
डॉ नीति पांडे (प्राचार्य) माधव विधि महाविद्यालय, ग्वालियर(गाइड)

प्रस्तावना-

बाल मजदूरी का सबसे अधिक भयावह रूप है बालकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा दर्शाये गए आंकड़े बताते हैं कि प्रतिदिन 1500 से अधिक बच्चे कारखानों में काम करने के कारण सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। बच्चों का शरीर कमजोर और बढ़ता हुआ होता है। उनसे ज्यादा शारीरिक काम लेने से उनका रूक जाता है काम की जगह पर उन्हें खरतनाक मशीनों व रसायनों से काम करवाया जाता है। बच्चा आगे चलकर या तो हेमशा बीमार रहेगा या इनता कमजोर की सामान्य जीवन ही जी पायेगा। वह अपनी रोजी भी नहीं कमा सकेगा। साथ ही वह अपनी सामान्य उम्र से कम जियेगा। यह कारण है की बच्चों से उस उम्र में काम लेने वालों को ऐसा करने से रोकना चाहिए। बच्चों से कुछ तरह के काम करवाने पर कानून पूरी पाबन्दी लगाता है। कानून यह भी बताता है की बच्चों से क्या और कहाँ काम करवाया जा सकता है। इन कामों के अलावा अगर कहीं काम लिया जाए तो कानून काम लेने वालों को सजा देगा ।